फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 30.09.2023

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराव आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक- 30.09.2023 को अभियुक्त प्रभाकर यादव पुत्र शिवदत्त यादव निवासी ग्राम बलीपुर भगवन्त थाना शमसाबाद को मुखविर की सूचना पर हजियापुर चौराहा थाना शमसाबाद को 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस नाजायज 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 243/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. प्रभाकर यादव पुत्र शिवदत्त यादव निवासी बलीपुर भगवन्त थाना शमसाबाद।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर प्रभाकर यादव पुत्र शिवदत्त यादव निवासी बलीपुर भगवन्त थाना शमसाबाद ने अपनी गलती की माफी मांगते हुए बयान कर रहे है कि साहब कल दिनांक 29.09.2023 को देवेंद्र सिंह पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम छिछोनापुर थाना शमशाबाद अपनी मोटरसाइकिल से हजियापुर की तरफ जा रहा था उनकी बाइक मेरी पिकअप में टच हो गयी मैं थोडा शराब के नशे में था देवेंद्र सिंह उपरोक्त द्वारा UP-112 पर पुलिस बुलाने के लिए कहा तो मुझे गुस्सा आ गयी और मैने पुलिस व देवेन्द्र उपरोक्त को अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया था। इसीलिए अपनी सुरक्षा हेतु मैं यह तमंचा कारतूस अपने पास रखे हुए था कि पुलिस वालों ने पकड लिया। साहब गलती हो गयी जो सही बात थी वह तो मैने आपको बता दी है। यही मेरा बयान है।

बरामदगी का विवरण :-

1. 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 वोर।

अभियुक्त प्रभाकर यादव का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 66/2014 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना शमसाबाद।
2. मु0अ0सं0 68/2014 धारा 18/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना शमसाबाद।
3. मु0अ0सं0 662ए/2008 धारा 323/324/336/504/506 भादवि थाना शमसाबाद।
4. मु0अ0सं0 241/23 धारा 279/337/ 504/506 भादवि थाना शमसाबाद।
5. मु0अ0सं0 243/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष बलराज भाटी
2. उ0नि0 संजय कुमार राय
3. का0 जय कुमार
4. का0 इन्द्रभान सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त पिन्टू पुत्र रामऔतार निवासी रशीदपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0 486/2017 वाद संख्या – 81/2018 धारा – 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाज में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.09.2023 को मा0 न्यायालय ,एडीजे 04 कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त पिन्टू पुत्र रामऔतार निवासी रशीदपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये का जुर्माने से दण्डित किया गया।

अपर डीजीसी श्री हरिनाथ सिंह

पैरोकार का0 नितिन कुमार

थाना मऊदरवाजा

@fatehgarhpolice @fatehgarhpolice fatehgarhpolice

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 30.09.23

नगर मजिस्ट्रेट महोदय एवं फतेहगढ़ पुलिस द्वारा कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में शिकागो पिज्जा रेस्टोरेंट में छापेमारी कर वेश्यावृत्ति के लिये उत्प्रेरित करने वाले 02 अभियुक्तगण को पुलिस हिरासत में लिया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री प्रशान्त कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट श्री सतीश चन्द्र महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप सिंह** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस व महिला थाना पुलिस के द्वारा शिकागो पिज्जा रेस्टोरेंट, पुलिस लाइन रोड़ पर छापा मारा गया, जहां से युवक व युवतियो को वेश्यावृत्ति के लिये उत्प्रेरित कर धनपोर्जन करने वाले अभियुक्तगण 1.प्रदीप कुमार अग्निहोत्री पुत्र श्री प्रमोद कुमार अग्निहोत्री 2. प्रमोद कुमार अग्निहोत्री पुत्र स्व0 हरिशरण निवासीगण न्यू नवदिया थाना कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़ को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 02 अन्य सहयोगी मौके से फरार हो गये जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. प्रदीप कुमार अग्निहोत्री पुत्र श्री प्रमोद कुमार अग्निहोत्री निवासी न्यू नवदिया थाना कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़।
2. प्रमोद कुमार पुत्र अग्निहोत्री पुत्र स्व0 हरिशरण लाल निवासी न्यू नवदिया थाना कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण:- पुछताछ करनें पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग वेश्यावृत्ति से धनपोर्जन हेतु लड़के व लड़कियो को रूम उपलब्ध कराते थे तथा उनके सुख सुविधा के लिये बिस्तर व आवश्यक अन्य सामान उपलब्ध कराते है। जिससे हम लोगो की अच्छी आमदनी होती है और हमारी आवश्यकतायें पूर्ण हो सके।

बरामदगी का विवरण:- वेश्यावृत्ति में उपयोगी आवश्यक सामान।

हिरासत/बरामद करने वाली टीम:-

1. श्री सतीश चन्द्र, नगर मजिस्ट्रेट महोदय,
2. श्री प्रदीप सिंह , क्षेत्राधिकारी नगर ,
3. निरीक्षक कमलेश कुमार, कोतवाली फतेहगढ़,
4. उ0नि0 श्री सुरेश चाहर, कोतवाली फतेहगढ़,
5. उ0नि0 श्री उदय सिंह, कोतवाली फतेहगढ़,
6. उ0नि0 श्रीमती सुधा पाल, कोतवाली फतेहगढ़ मय अन्य पुलिस कर्मी कोतवाली फतेहगढ़
7. महिला थाना प्रभारी श्रीमती ललिता मेहता मय अन्य महिला पुलिस कर्मी महिला थाना, फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़

GPS Map Camera
Lakhamidas Pur, Uttar Pradesh, India
M7HW+FQQ, Lakhamidas Pur, Uttar Pradesh 209605, India
Lat 27.679402°
Long 79.298446°
30/09/23 05:02 PM GMT +05:30
Google

Sprite